



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2(17)पंरावि/प्रशा.1/प्र.नि.समाप्त/वि.अ/2010/पार्ट/ 478 जयपुर, दिनांक:- 6.3.19

—:आदेश:—

श्री इन्द्रसिंह राजपुरोहित, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बिछीवाडा जिला डूंगरपुर की पूर्णतः तदर्थ आधार पर विकास अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर ली गयी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर इनके पैतृक विभाग (उच्च शिक्षा विभाग) को लौटायी जाकर श्री राजपुरोहित को निर्देशित किया जाता है कि वे विभागीय परिपत्र दिनांक 15.7.14 के क्रम में अपना कार्यभार पंचायत समिति में पदस्थापित अधिकारियों में से वरियता के क्रम में संभलाकर अपनी उपस्थिति तत्काल अपने पैतृक विभाग में प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(गौरव चतुर्वेदी)

संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. उप मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त उदयपुर।
8. जिला कलक्टर डूंगरपुर।
9. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद डूंगरपुर।
10. विकास अधिकारी पंचायत समिति बिछीवाडा जिला डूंगरपुर।
11. सम्बन्धित अधिकारी को पालनार्थ।
12. एसीपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
13. आदेश पत्रावली।

संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त (प्रशा.1)